भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1363

दिनांक 19.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल नियोजन

1363. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला:
श्री एस. निरंजन रेड्डी

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शहरों में जल की स्थायी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय संदर्भों को ध्यान में रखते हुए जल योजनाएं बना रही है;

(ख) क्या यह सच है कि जल सुरक्षा जलवायु जोखिम न्यूनीकरण और स्थायी वित्तपोषण सहित कई चीजों से जुड़ी हुई है और इसके लिए विभिन्न वित्तपोषण मॉडल निर्धारित करने, शहर में रह रहे गरीबों के लिए वहनीयता निर्धारित करने, जल मूल्य निर्धारण को तर्कसंगत बनाने आदि के लिए इस क्षेत्र के हितधारकों का अन्य क्षेत्र के हितधारकों से समन्वय की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे हितधारकों को एक साथ लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने शहरों में जल संबंधी समस्याओं का निवारण सुनिश्चित करने के लिए हितधारक की संलग्नता के लिए एक समर्पित कार्यबल गठित करने पर विचार किया है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के अमृत 2.0 ढांचे के अनुसार, यूएलबी को नगर जल संतुलन योजना (सीडब्ल्यूबीपी) तैयार करनी होती है जिसमें जल स्रोतों, मौजूदा कवरेज, शोधन संयंत्रों आदि का ब्यौरा शामिल होता है जिसके आधार पर सेवाओं में कमियों का पता लगाया जाता है, प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं और यूएलबी द्वारा परियोजनाओं को नगर जल कार्य योजना (सीडब्ल्यूएपी) के रूप में प्रस्तावित किया जाता है। इसके बाद इसे राज्य जल कार्य योजना (स्वैप) में शामिल किया जाता है और राज्यों द्वारा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को विचार के लिए भेजा गया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय केवल राज्यों द्वारा प्रस्तुत एसडब्ल्यूएपी को अनुमोदित करता है।

(ख) और (ग) अमृत 2.0 का उद्देश्य देश भर के सभी सांविधिक कस्बों और शहरों में प्रत्येक परिवार को पर्याप्त गुणवत्ता, मात्रा और उपलब्धता के साथ पेयजल की सुविधा प्रदान करना है। इसे प्राप्त करने के लिए राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों को जल क्षेत्र में स्थिरता और दक्षता में सुधार लाने अर्थात सेवा स्तर बेंच मार्क प्राप्त करने पर केन्द्रित परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। प्राप्त परिणामों अर्थात जल नल कनेक्शन के लिए परिणाम आधारित वित्तपोषण पर विचार किया जाएगा। यह मिशन, बड़े पैमाने पर समुदाय को शामिल करके जल स्रोत संरक्षण, शोधित उपयोग किए गए पानी के पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग को प्रभावी करके पानी की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है और इसे लोगों के कार्यक्रम यानी जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा। यह मिशन अपनी प्रगति के बारे में समवर्ती प्रतिक्रियाओं के लिए महिलाओं और युवाओं का सहयोग लेगा।

कम लागत वाले स्वदेशी उपकरणों और प्रक्रियाओं में शामिल उद्यमिता/स्टार्टअप को प्रौद्योगिकी उप-मिशन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए योजनाबद्ध परियोजनाओं के लिए राज्य/शहरी स्थानीय निकाय उपयुक्त वित्तीय मॉडल तैयार करेंगे और ऐसी परियोजनाओं की व्यवहार्यता अंतर का निदान करेंगे।

(घ) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत 2.0 सहित शहरी क्षेत्र में अनेक कार्यक्रमों की समीक्षा और निगरानी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के अधीन गठित की जाने वाली जिला स्तरीय सलाहकार और निगरानी समिति (डीएलएएमसी) के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिले में यूएलबी और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि और प्रतिनिधि इस समिति का हिस्सा होंगे। यह समिति लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अमृत 2.0 परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करेगी।

****